

फर्द अहकाम

जय उपरखण्ड अधिकारी जमवारागढ़, उपखण्ड

राजचन्द्र बनाम मेगाला वॉ.।

मा संख्या/वर्ष : 102/2017

वैशेष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/11/22	<p>अप्राप्तो पत्र हूँ. अधिवक्ता सच द्वारा अपडोलेरा/कार्य का बहिष्कार करने प प्रभावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/22 पेश हूँ</p>	
	14/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपण वकील वादी द्वारा आप भी नोटिस अटके पेश नहीं किये गये। पत्रावली को अपडोलेरा किया गया। वकील वादी को वार्ड हलकी हेतु नोटिस पेश करने हेतु कई अपार डिजिटल जाने के उपरान्त भी वकील वादी ने -मालालन के आदेश की पालना न नोटिस पेश नहीं किया। अतः मालालन को आदेशों की पालना नहीं करने के कारण उपरान्त को आदेश 9 नियम 5 सी. पी. सी. के तहत खासिय किया जाते है। पत्रावली केवल शुभारंभ हेतु नभर के कर के तथा वाद इति होकर दाखिल करत है।</p>	
		<p>उपरखण्ड अधिकारी जमवारागढ़</p>	